सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर

क्रमांक : रीडर/2020/16 दिनांक : 01-04-2020

आम सूचना

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी दिशा–निर्देशो एवं श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 46 दिनांक 30.03.2020 की अनुपालना में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी,

1. जमानत प्रार्थना–पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/स्थगन संबंधी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं./मृत्युकालीन कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं, उनमें सुनवाई की तिथि	आगामी नियत तिथि
01.04.2020	15.04.2020	15.05.2020
03.04.2020	17.04.2020	16.05.2020
04.04.2020	18.04.2020	18.05.2020
07.04.2020	21.04.2020	19.05.2020
09.04.2020	23.04.2020	20.05.2020
13.04.2020	27.04.2020	22.05.2020

नोट– दिनांक 08.04.2020 का धौलपुर न्यायक्षेत्र में स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने के कारण दिनांक 08.04.2020 की पत्रावलियां दिनांक 09.04.2020 की पेशी में नियत की जा चुकी है।

01-04-2020
न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजाखेड़ा (धौलपुर)

परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जावेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अति आवश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अति आवश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी। परन्तु यह प्रयास किया जावें कि उक्त स्थिति में केवल और केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवें।

—Sd—
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजाखेड़ा, जिला धौलपुर (राज.)

प्रतिलिपिः–

01. प्रति वास्ते सूचनार्थ श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
02. प्रति वास्ते सूचनार्थ श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
03. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, राजाखेड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण को सूचित करावें और समस्त अभिभाषकगणों से भी अनुरोध है कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीख की सूचना मोबाईल आदि से दें, ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
04. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित की जावें, ताकि न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड़ की जावें।
05. सूचना की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावें।
06. कार्यालय प्रति।

01.04.2020

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजाखेड़ा, जिला धौलपुर (राज.)